न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 31/2015

दायर दिनाँक :- 09.09.2015

निर्णय दिनाँक :- 20.04.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. चन्दनपुरी पिता भैरुपुरी गुसांई निवासी- चाकुड़ी तह०- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति - श्री सुरेशचन्द्र बापना वकील वादी
श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी

* निर्णय *

वकील वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा-88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

(1) यह है कि मौजा चाकुड़ी के हल्के बेरुनी में संवत 2039-40 के बीच के रेकर्ड में आ० न० 83/1 रकबा 05-04 बीघा, आ०न० 32/1 रकबा 00-01 बीघा, आ० न० 36/1 रकबा 00-02 बीघा, आ० न० 83/5 रकबा 00-18 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 06-05 बीघा रेवेन्यु रेकर्ड में वादी के नाम दर्ज है। इस पर 32/1 में कुआं खुदा हुआ है।

(2) यह है कि उक्त आराजियात के वर्तमान आ० न० 83/1 के 264, 265 व 266 बने व आ० न० 32/1 के नये नम्बर 1210/270 आ० चा० वादी के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन यह वादी की बजाय बिलानाम दर्ज हो गया है जो गलत है तथा साबिक रकबा 06-05 बीघा ... या रकबा जितना बनना चाहिए उससे 16 आरी कम है जो ... कर्मचारियों की गलती से हुआ है। अत: वादी ने मौजा चाकुड़ी की आ० न० 1210/270 आ० चा० बिलानाम से हटाकर वादी के नाम ... कुल क्षेत्रफल में 16 आरी जो कम है वो पुरा कराया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया तथा बताया कि वादग्रस्त आ०न० 264, 265, 266 किता तीन वादी के नाम दर्ज होकर उक्त आराजियात के तीन ओर अन्य खातेदारान की कृषि भूमि है एवं एक ओर रास्ता है। वादी के जितनी भूमि कब्जे मे है उतनी भूमि वादी के नाम पर दर्ज है। वादी द्वारा आ०न० 1210/270 रकबा 0.01हैक्ट० भूमि बिलानाम सरकार का अपने नाम का वाद किया है जबकि उक्त आराजियात वादी की खातेदारी भूमि से दूर होकर बीच मे अन्य खातेदारान की भूमि है। अत: वादी का वाद आधारहीन होकर खारिज योग्य है। इस पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी -

तनकी सं.-1:- आया वादपत्र की कॉलम संख्या-2 मे वर्णित आ०न० 1210/270 आ०चा० दर्ज नही होकर बिलानाम दर्ज अंकित कर दिया था जिसे वादी इन्द्राज दुरूस्त करा राजस्व रेकर्ड में आ०चा० वादी के नाम खातेदारी दर्ज अंकित कराया जावे तथा वादी के नाम 16आरी रकबा साबिक रकबा अनुसार कम दर्ज होने से कमी रकबा वादी के नाम खातेदारी से दर्ज कराया जावे।

-जिम्मे वादी

तनकी सं.-2:- दादरसी ?

वादी की ओर से सबूत दस्तावेज में जमाबंदी संवत 2063-63 प्रदर्श-1, जमाबंदी नकल संवत 2063-63 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी संवत 2039-40 प्रदर्श-3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4 आदि प्रस्तुत किये। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही हुए।

साक्ष्य वादी में गवाह चन्दनपुरी पिता भैरूपुरी गुसाई के बयान पी० डब्ल्यु-1 पेश किये। अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किये जाने से साक्ष्यवादी बंद की गयी। प्रतिवादी द्वारा जिरह नही की गया तथा साक्ष्य प्रतिवादी मे गवाह पेश नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस मे वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। वकील वादी ने अपनी बहस मे बताया कि साबिक आ०न० 83/1, 32/1, 36/1 व 83/5 वादी के नाम दर्ज रेकर्ड है और आ०न० 32/1 में कुआ खुदा हुआ है। साबिक आ०न० 83/1 के वर्तमान आ०न० [illegible] है तथा आ०न० 32/1 के नवीन आ० न० 1210/270 आ०चा० [illegible] कर्मचारियों की गलती से आ०न० 1210/270 आ०चा० को बिलानाम गलत दर्ज अंकित कर दिया गया जिसे पुन: वादी के नाम दर्ज किया जाना चाहिए तथा साबिक रकबे के मुकाबले 16 आरी कम दर्ज भूमि को इन्द्राज दुरूस्त कर पूर्ण रकबा दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि

A [signature] 20.4.21
सहायक कलेक्टर एवं
खण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सरवर्क

CR## 2015 / 00316

...अधिकारी (एस.डी.एम.) भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

... नम्बर दाखिल

वादग्रस्त आ॰न॰ 264, 265 व 266 वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजियात के तीन ओर अन्य खातेदारान व एक ओर रास्ता है। जितनी भूमि वादी के कब्जे मे है उतनी वादी के नाम दर्ज अंकित है। वादी द्वारा आ॰न॰ 1210/270 भूमि अपने नाम दर्ज करने की मांग की गयी है जबकि उक्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि से दूर होकर बीच मे अन्य खातेदारान की भूमि है। अतः वादी का वाद आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष बहस पर मनन किया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :-

तनकी सं॰1 :- इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित करायी जानी है। प्रस्तुत हाल खाते की जमाबंदी के अनुसार आ॰न॰ 1210/270 रकबा 0.01 हैक्ट॰ बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि से दूर होकर बीच में अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है। जिसकी ताईद तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट से होती है। तहसीलदार भूपालसागर की मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आ॰न॰ 264, 265 व 266 वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजियात के एक ओर रास्ता तथा तीन तरफ अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है। वादी के जितनी भूमि कब्जे मे है उतनी वादी के नाम पर दर्ज है। अतः वादी इस तनकी को किसी भी तरह से साबित नहीं करा पाया है। यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी सं॰-2 :- चूंकि वादी तनकी सं॰1 को किसी भी तरह से सिद्ध नहीं करा पाया जिससे वादी के खिलाफ निर्णीत हुई है। अतः वादी अपना वाद साबित करा पाने मे असमर्थ रहा है जिससे वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तनकी वार विवेचन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित नहीं करा पाने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] होवे।
निर्णय आज दिनांक 20.0[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:38 IST
Reason: SelfAttested

20.4.21
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –5

डिक्री बमुकद्दमे इस्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

(पीठासीन अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी :– **सुखाराम पिण्डेल** (R.A.S.)

उनवान

चन्दनपुरी पिता भैरूपुरी गुसाई निवासी--चाकुडी, तह०-भूपालसागर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 31/2015

निर्णय दिनांक :– 20.04.2021

वादी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र बापना की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.04.2021 को सुखाराम पिण्डेल (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

——— वादी का वाद साबित नहीं करा पाने से खारिज किया जाता है। ———

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

20.4.21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	

Scanned with CamScanner

5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

20.5.21

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner